इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021—माघ 23, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2021

सूचना

एफ-2-12-2018-सात-7-84.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 59 तथा धारा 60 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) तथा (चार) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस का अवसान होने पर, संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

इन नियमों में, नियम 13 में, उप नियम (1) तथा (2) में, शब्द ''तीस'' के स्थान पर, शब्द ''पन्द्रह'' स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2021

क्र. एफ 2-12-2018-सात-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-12-2018-सात-7, दिनांक 4 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 4th February 2021

NOTICE

F-02-12-2018-VII-Sec. 7-84.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Rajaswa Ka Nirdharan Tatha Punrnirdharan) Niyam, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 and 60 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 13, in sub-rule (1) and (2) for the word "thirty" the word "fifteen" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2021

फा. क्र. 496-2021-इक्कीस-ब(दो).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1908) की धारा 23 तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

अध्याय 1 (भाग-1) के नियम 10 के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाएं, अर्थात्:—

"(एक) A4 आकार के कागज के दोनों ओर, जिसका GSM 75 से कम न हो, यूनीकोड मंगल फॉन्ट, आकार 16 (देवनागरी लिपि हेतु) एवं टाईम्स न्यू रोमन फॉन्ट, आकार 14 (रोमन लिपि हेतु) में सफाई से अंकित अथवा मुद्रिका हो, जिसमें ऊपरी और पृष्ठ भाग पर 1.5" बॉयी और 1.75" एवं दॉयी और कम से कम 1" का हाशिया छोड़ेंगे तथा 1.5 लाईन स्पेसिंग रखेंगे.".

F. No. 496-2020-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), the State Government in consultation with the High Court of Madhya pradesh, hereby, makes the following furthcr amendment in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Part-I, in Chaptcr-I, in rule 10, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

(i) Neatly typewritten or printed in font type Unicode (Mangal) font size 16 (for Deonagari script) and font type Times New Roman font size 14 (for Roman script), on both side of A4 size paper having not less than 75 GSM, leaving 1.5" margin on the top and bottom and 1.75" margin left and at least 1.0" margin right, with one and half line space.".

फा. क्र. 498-2021-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 484 में, विद्यमान पैराग्राफ को उप-नियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) यदि प्रतिलिपि के लिए आवेदन किसी अभिलेख के संबंध में हो, जिसका डिजिटलीकरण नियमों के अनुसार डिजिटलीकरण किया गया है, तो प्रमाणित प्रति ऐसे डिजिटलीकृत अभिलेख के आधार पर जारी की जा सकती है. तथापि यदि आवेदन लंबित अभिलेख या उसके भाग के लिए है, तो पीठासीन न्यायाधीश की अनुमति अपेक्षित होगी.".

(2) नियम 489 में,—

(1) अनुक्रमांक (4) तथा (5) में, शब्द "कक्ष" के पश्चात् प्रतीक तथा शब्द "/न्यायालय" अन्तःस्थापित किए जाएं.

(2) अनुक्रमांक 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"12 हार्ड कॉपी से तैयार प्रति अथवा

13. डिजिटलीकृत अभिलेख से तैयार प्रति.".

F. No. 498-2021-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by article 227 of the Constitution of India, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 484, the existing paragraph shall be renumbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) If, the application for copying relates to any record, which has been digitized as per digitization rules, the certified copy can be issued on the basis of such digitized record. However, if the application is for pending record or part thereof the permission of the Presiding Judge shall be required.".

(2) In rule 489,—

(1) in serial number (4) and (5), after the word "Room", the following symbol and word " /Court" shall be inserted.

(2) after serial number 11, the following serial numbers shall be inserted, namely :—

"12. Copy prepared from the hard copy or

13. Copy prepared from the digitized record.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.